प्राचार्य संदेश

नवीन सत्र 2024–25 में सभी विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा के इस मंदिर में हार्दिक स्वागत है। यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है। महाविद्यालय केवल ईंट पत्थर से निर्मित एक ढ़ाँचा मात्र नहीं होता, यहाँ अध्ययन कर विद्यार्थी अपने जीवन की नवीन राहों पर अग्रसर होने की योग्यता अर्जित करते हैं। महाविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों के हित के लिये सदैव तत्पर है।

मैं जब–जब युवाओं की क्षमताओं पर विचार करता हूं तो उनमें हिमालय की ऊँचाई पाता हूँ। आज का युवा दुःख, निराशा, बेरोजगारी एवं प्रतिद्वंदिता में उलझा हुआ है। असीम ऊर्जा से भरा युवा हताशा का शिकार है। विश्व का सबसे बड़ा सुपर कम्प्यूटर अमेरिका के पास नहीं है। आपके मस्तिष्क से बड़ा दुनिया में कोई कम्प्यूटर नहीं है। सुपर कम्प्यूटर जैसे मस्तिष्क के मालिक हम भारतीय अपनी क्षमता का 10 प्रतिशत भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। आखिर क्यों ? विचार करें।

मनुष्य बुनियादी रूप से कमजोर नहीं हैं। हमारी कमजोरी शारीरिक, भौतिक एवं अस्तित्वगत नही है। हम अपनी कमजोर सोच, मान्यताओं के कारण हीन बने हुए हैं। अपने सोच की दिशा को आत्मविश्वास बढ़ा कर बदली जा सकती है। आत्मविश्वास से युक्त व्यक्ति ही अपनी क्षमताओं का उपयोग भली प्रकार कर सकता है। उसके लिए सफलता प्राप्त करना कठिन नहीं होता।

आत्मविश्वास सफलता की जननी है। आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति ने जो चाहा सो प्राप्त किया है। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। सफलता आत्मविश्वास की गोद में पलती है। आत्म विश्वास सफलता को पाने का सबसे बड़ा मंत्र है। सफलता की पहल करने तथा सफलता का सपना देखने के लिये आत्मविश्वास जरूरी है। किसी भी प्रकार की सफलता आत्मविश्वास के अभाव में प्राप्त नहीं की जा सकती। सभी सफल लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं। आत्मविश्वास से दूर की मंजिल आसान बन जाती है।

सपने देखो और आगे बढ़ो

जब आंखों में सपने नहीं तैरते हैं तो चित्त अपनी दिशा खो देता है। सपने देखने वाले ही आगे बढ़ पाते हैं। जो सपने नहीं देख सकता है वह किसी चीज को साकार कैसे कर सकता है ? जीवन में कुछ भी पाने के लिय सपने देखना अति आवश्यक है। जो सपने देखता है वही उन्हें वास्तविकता में परिणत कर सकता है। जो सपने तक नहीं देखता वह वांछित को कैसे पा सकता है ?

विवेकानन्द के शब्दों में अपनी बात समाप्त करता हूं ''उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरानिबोधतः'' उठो, जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं।

इति शुभम्

डॉ. रजनी गगवानी
कार्यवाहक प्राचार्य
श्री शि.च.मा. राजकीय
महाविद्यालय–माण्डलगढ़

विवरणिका

PROSPECTUS

सत्र 2024–2025

इस विवरणिका में निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर व महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का आवश्यक सार दिया गया है। इन नियमों में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर परिवर्तन किये जा सकते हैं। इन परिवर्तनों की सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर लगा दी जाती है। विद्यार्थियों को सजग होकर इसकी जानकारी करते रहना चाहिये। इन नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के नियमों/आदेशों का अवलोकन करें।

श्रीशिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय
मांडलगढ़ जिला–भीलवाड़ा (राज.)
फोन : 01489–230515
E-mail: mandalgarh.govtcollege@gmail.com

यद्यपि इस विवरणिका में सभी सरकारी आदेशों/नियमों/सूचनाओं की जानकारी दी गयी है, फिर भी कोई त्रुटि होने पर मूल आदेशों/नियमों/सूचनाओं को ही सही माना जायेगा।

:– *प्रकाशक* –:

डॉ. रजनी गगवानी
कार्यवाहक प्राचार्य

श्री पीयूष भैड़ा
सहायक आचार्य–अंग्रेजी

सम्पादक

श्री मनुराज पुरोहित
सहायक आचार्य–भूगोल

श्री भवानी सिंह गुर्जर
सहायक आचार्य– हिन्दी

श्री राहुल मीणा
सहायक आचार्य– व्यावसायिक प्रबंधन

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विषय
1.	महाविद्यालय–एक परिचय
2.	विभिन्न पाठ्यक्रम
3.	नवीन प्रवेश द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का विवरण
4.	विद्यार्थियों का मार्गदर्शन
5.	अनिवार्य उपस्थिति नियम
6.	प्रांगण गतिविधियां
7.	छात्रवृतियां
8.	महाविद्यालय परिवार

महाविद्यालय एक परिचय

श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय, माण्डलगढ़ अभी अपने शैशवकाल में है। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा 1999–2000 में की गई। यह महाविद्यालय माण्डलगढ़ निवासियों के लिए तो एक गौरव की बात है, साथ ही माण्डलगढ़ उपखण्ड के ग्रामीण छात्र–छात्राओं के लिए उच्च अध्ययन का एक उत्तम एवं सुगम स्थान भी है।

महाविद्यालय की स्थापना से पूर्व यहां के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु भीलवाड़ा, बून्दी, कोटा, शाहपुरा आदि अपेक्षाकृत बड़े एवं खर्चीले स्थानों पर जाना पड़ता था, जिससे गरीब एवं कमजोर वर्ग के छात्रों एवं विशेष रुप से छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहना पड़ता था। इस महाविद्यालय की स्थापना के साथ ही इस समस्या का समाधान हो चुका है तथा सभी छात्र–छात्राओं के लिए यहां अध्ययन के समान अवसर उपलब्ध हैं।

यह महाविद्यालय माण्डलगढ़ नगर से 4 कि.मी. दूर, भीलवाड़ा रोड़ पर होड़ा गांव के पास स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह विंध्य और अरावली पर्वत श्रृंखला के संधिस्थल पर विद्यमान है। यहां पर स्थित प्राचीन दुर्ग की मंडलाकृति व स्थापत्य इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। यह स्थान सभी ओर से गावों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। यह कोटा–चित्तौड़गढ़ रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। साथ ही भीलवाड़ा–कोटा मुख्य सड़क मार्ग पर जिला मुख्यालय भीलवाड़ा से 50 कि.मी. पूर्व में स्थित है। आवागमन के लिये पर्याप्त मात्रा में साधनों की उपलब्धता है।

इस समय महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय, वाणिज्य, एवं विज्ञान संकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर हिन्दी साहित्य, भूगोल एवं राजनीति विज्ञान में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। इस हेतु महाविद्यालय के पास उचित भौतिक संसाधन उपलब्ध है। महाविद्यालय का जन सहयोग से निर्मित भवन है, जिसमें प्रशासनिक भवन, अध्ययन कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष आदि के साथ–साथ पढ़ने–पढ़ाने का आदर्श वातावरण है। सत्र 1999–2000 में 123 छात्र एवं 11 छात्राओं से प्रारम्भ हुआ यह महाविद्यालय निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सत्र 2023–24 में 1339 विद्यार्थी अध्ययनरत थे।

विभिन्न पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम/विषयों की जानकारी निम्नानुसार है। किसी कक्षा के आगे कोष्ठक में दर्शाई गई संख्या, उस कक्षा में प्रवेश हेतु स्वीकृत स्थानों की संख्या है।

1.1 बी.ए. भाग प्रथम (320. स्थान)

अनिवार्य विषय : 1.सामान्य हिन्दी/सामान्य अंग्रेजी 2. पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय : 1. हिन्दी साहित्य 2. भूगोल 3. राजनीति विज्ञान 4. अर्थशास्त्र 5. इतिहास

निम्न पाँच ग्रुप में से वरीयता क्रमानुसार तीन ग्रुप भरें।

विषय ग्रुप	विषय 01	विषय 02	विषय 03
A.	हिन्दी साहित्य	भूगोल	इतिहास
B.	हिन्दी साहित्य	राजनीति विज्ञान	अर्थशास्त्र
C.	हिन्दी साहित्य	राजनीति विज्ञान	भूगोल
D.	राजनीति विज्ञान	भूगोल	अर्थशास्त्र
E.	राजनीति विज्ञान	भूगोल	इतिहास

महत्त्वपूर्ण टिप्पणिया :– विद्यार्थियों को विषय का चयन बहुत सोच–समझकर करना चाहिये।

किसी भी विषय को लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक या कम होने पर प्राप्तांक योग्यता के आधार पर प्रवेश समिति की अनुशंसा पर विषय परिवर्तन का आदेश विशेष परिस्थिति में प्राचार्य द्वारा दिया जा सकता है, जिसे मानना प्रत्येक नियमित विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होगा।

1.2 बी. कॉम. भाग प्रथम (80.स्थान)

अनिवार्य विषय : 1.सामान्य हिन्दी/सामान्य अंग्रेजी 2.पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय : 1.लेखा एवं वित्त 2.बैंकिग एवं वित्तीय प्रबन्ध 3.व्यावसायिक प्रबन्ध

1.3 बी.एस.सी. भाग प्रथम (70. स्थान)

अनिवार्य विषय : 1.सामान्य हिन्दी/सामान्य अंग्रेजी 2.पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय : 1. वनस्पतिशास्त्र 2. रसायनशास्त्र 3. प्राणीशास्त्र

वैकल्पिक विषय : 1. भौतिकशास्त्र 2. रसायनशास्त्र 3. गणित

1.3 **बी.ए. भाग द्वितीय** : गत वर्ष के विषयों से सम्बन्धित प्रश्न पत्र।

1.4 **बी.ए. भाग तृतीय** : गत वर्ष के विषयों से सम्बन्धित प्रश्न पत्र।

1.5 **बी.कॉम. भाग द्वितीय** : गत वर्ष के विषयों से सम्बन्धित प्रश्न पत्र।

1.6 **बी.कॉम. भाग तृतीय** : गत वर्ष के विषयों से सम्बन्धित प्रश्न पत्र।

1.7 **बी.एस.सी. भाग द्वितीय** : गत वर्ष के विषयों से सम्बन्धित प्रश्न पत्र।

1.8 **बी.एस.सी. भाग तृतीय** : गत वर्ष के विषयों से सम्बन्धित प्रश्न पत्र।

1.9 **एम.ए. पूर्वार्द्ध (120. स्थान)**

वैकल्पिक विषय	: 1. हिन्दी साहित्य	2. भूगोल	3. राजनीति विज्ञान
उपलब्ध सीट	(40)	(40)	(40)

1.10 **एम.ए. उत्तरार्द्ध (120. स्थान)**

वैकल्पिक विषय	: 1. हिन्दी साहित्य	2. भूगोल	3. राजनीति विज्ञान
उपलब्ध सीट	(40)	(40)	(40)

नवीन प्रवेश द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थान कक्षा/संवर्गानुसार

क्र.स.	कक्षा	संवर्गानुसार भरे जाने वाले रिक्त स्थान						कुल स्थान
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	More Backword Class	आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS)	
		कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	
1	बी.ए. पार्ट प्रथम	115	51	39	67	16	32	320
2	बी.कॉम पार्ट प्रथम	29	13	9	17	4	8	80
3	बी.एस.सी. (जीव विज्ञान) पार्ट प्रथम	25	12	8	15	3	7	70
4	बी. एस. सी. (गणित) पार्ट प्रथम	25	12	8	15	3	7	70
5	एम.ए. पूर्वार्द्ध हिन्दी साहित्य	16	6	4	8	2	4	40
6	एम.ए. पूर्वार्द्ध राजनीति विज्ञान	16	6	4	8	2	4	40
7	एम.ए. पूर्वार्द्ध भूगोल	16	6	4	8	2	4	40

नोट :– विकलांग अभ्यर्थियों हेतु 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा।

विद्यार्थियों का मार्गदर्शन व निर्देश

1. महाविद्यालय का नवीन सत्र 2024–2025 प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवेश की समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली जायेगी। अतः आप 1 जून 2024 से ही प्रतिदिन आवश्यक रूप से सूचना पट्ट देखते रहें एवं तदनुसार प्रवेश सम्बन्धी कार्यवाही समय पर पूरी होते ही सत्र पर्यन्त सूचना पट्ट पर चस्पा किये आदेश–निर्देशों की पालना करें, यह आपका प्रथम उत्तरदायित्व है।
2. आप सूचना पट्ट पर लगी समय–सारिणी के अनुसार दिनांक 01.07.2024 से अपनी–अपनी कक्षाओं में निर्धारित समय पर नियमित रूप में उपस्थित होकर अध्ययन का लाभ लेवें।
3. यह महाविद्यालय अब आपका अपना है, इसके गौरव, विकास एवं मर्यादा की रक्षा में सहयोग देना आपका परम –दायित्व है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में आयें। अकारण इधर–उधर घूमकर अपना अमूल्य समय नष्ट न करें। अल्पकालीन लाभों को त्यागकर दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हुये अपने भविष्य को उज्ज्वल बनायें।
4. परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में बैठने के लिये प्रत्येक विषय/प्रश्न–पत्र में (प्रायोगिक विषय सहित) 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। आपकी उपस्थिति की गणना कक्षा के आरम्भ होने के प्रथम दिन से ही की जायेगी। वांछित उपस्थिति के अभाव में आपको परीक्षा हेतु स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में नया आवेदन करना होगा, परिणाम स्वरूप होने वाली आर्थिक हानि के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
5. महाविद्यालय में संचालित होने वाली साहित्यिक एवम् सांस्कृतिक प्रतियागिताओं, गोष्ठियों, राष्ट्रीय सेवा योजना, रॉवर रेंजरिंग, खेलकूद, युवा विकास केन्द्र आदि विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों में अधिकाधिक भाग लेकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें।
6. विद्यार्थी अपना परिचय–पत्र सदैव अपने साथ रखें। महाविद्यालय परिसर में उसे कभी भी दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अभाव में 20 रू. जुर्माना देय होगा। परिचय पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में डुप्लीकेट परिचय पत्र बनवाने हेतु सादे कागज पर नोटेरी से प्रमाणित करवाकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही 50 रू. शुल्क देय होगा।
7. महाविद्यालय के प्राध्यापकों का अभिवादन करना आपका सहज कर्त्तव्य है। महाविद्यालय कर्मचारियों के प्रति भद्रता एवं विनम्रता का बर्ताव करें, इससे आप उनका स्नेह–सहयोग एवं अपनत्व सहज ही प्राप्त कर सकेंगे।
8. मूल प्रमाण पत्र (मूल अंक–तालिकाएं आदि) आदि जो भी दस्तावेज आप महाविद्यालय को सौंपे उनकी पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपियां अपने पास अवश्य रखें, क्योंकि प्रवेश के पश्चात् मूल प्रलेख लौटाना संभव नहीं होगा तथा प्रवेश–आवेदन पत्र से कोई प्रतिलिपि देय नहीं हो सकेगी।
9. महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर शुल्क अदायगी की पावती(रसीद) और समय–समय पर जो भी अन्य अदायगियां आप महाविद्यालय में करें उनकी पावतियां संभालकर रखें, इनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। (विशेष रूप से छात्रवृति, एन.एस.एस., परिचय–पत्र, पुस्तकालय–कार्ड, उपस्थिति पंजिका में नाम दर्ज करवाने, आदि कार्यों के समय) शुल्क अदायगी की पावती (रसीद) की एक फोटो प्रति भी करवाकर अपने पास रखें।
10. स्थानीय डाक के पत्ते में परिवर्तन होने पर स्थानीय संरक्षक से प्रमाणित करवाकर, नये पत्ते की सूचना महाविद्यालय को अवश्य देवें।
11. अध्ययन काल में यदि आप कोई नौकरी या व्यवसाय करने लगें, तो उसकी जानकरी नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित महाविद्यालय को तुरंत देवें।
12. यदि आप किसी वाहन द्वारा महाविद्यालय में आते हैं तो उसे निर्धारित स्थान पर सुव्यवस्थित ढंग से रखें।

13. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ और सुन्दर रखना आपका कर्त्तव्य है। कागज इत्यादि कहीं भी फेंककर गन्दगी न फैलाएं। दीवारों पर इश्तेहार आदि न चिपकाएं, न कुछ लिखें और न ही पान की पीक आदि दीवारों पर थूकें, दोषी विद्यार्थियों को दण्डित किया जायेगा।
14. कक्षा में फर्नीचर को व्यवस्थित तथा सुरक्षित रखना आपसे अपेक्षित है। दरवाजे–खिड़कियां आदि के कांच, विद्युत स्विच् आदि सामान क्षतिग्रस्त नहीं करें। यह आपके अपने महाविद्यालय की सम्पत्ति है। ऐसा निंदात्मक कार्य करने वाले विद्यार्थी की सूचना तुरंत प्राचार्यजी को देवें।
15. मादक द्रव्यों यथा बीड़ी, सिगरेट,शराब,तम्बाकू इत्यादि का सेवन करके और ऐसे द्रव्यों के नशे में होकर महाविद्यालय में आना दण्डनीय अपराध है। अन्य दण्डों के अतिरिक्त, नशे में पाये जाने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय से तुरंत निष्काषित किया जा सकेगा, क्योंकि महाविद्यालय परिसर को नशा निषेध परिसर घोषित किया गया है। तम्बाकू अधिनियम 2005 की धारा 04 व 06 के अनुसार तम्बाकू सेवन दंडनीय अपराध है।
16. उच्छृंखलता का प्रदर्शन करने पर विश्वविद्यालय अध्यादेश 88 एवं 152 के प्रावधानों के अनुसार आप पर दण्डनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
17. कक्षा में जिस प्रसंग पर व्याख्यान होना है, उसके बारे में आप पहले से पढ़ करके कक्षा में जायें, ताकि व्याख्यान को बेहतर ढंग से ग्रहण कर सकें।
18. विषय का गहन अध्ययन करने के लिए, पठनीय पाठ्य पुस्तकों/संदर्भ पुस्तकों/लेखों आदि की सूचना व्याख्यातागण से अवश्य प्राप्त करें।
19. महाविद्यालय द्वारा आन्तरिक मूल्यांकन के लिए आयोजित तीनों टर्म–टेस्ट में अनिवार्य रूप से बैठें। इससे आप तब तक की गई तैयारी के मूल्यांकन के साथ–साथ, विश्वविद्यालय परीक्षा में, अधिक अंक अर्जित करने में भी सफल होंगे।
20. भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये अप्रेल 1999 के एक निर्णयानुसार छात्र/छात्रा उत्पीड़न (Ragging) एक गंभीर अपराध है। इसे रोकने के लिये महाविद्यालय में एंटी रेगिंग समिति गठित की गयी है। महाविद्यालय प्रशासन दोषी छात्र/छात्रा को संस्था से निष्काषित कर सकेगा। महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों से अनुरोध है कि यदि उन्हें छात्र/छात्रा उत्पीड़न के किसी प्रयास/घटना की कोई जानकारी मिले तो वे प्राचार्य/एंटी रेगिंग समिति के संयोजक अथवा प्राध्यापक को घटना के बारे में तुरंत सूचित करें।
21. वर्ष 2023 की परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं विगत वर्षों के वि.वि. परीक्षा प्रश्न–पत्र पुस्तकालय में उपलब्ध रहते हैं, इनका लाभ उठावें। पुस्तकों एवं पत्र–पत्रिकाओं के पन्ने फाड़ना, चित्र फाड़ना उन्हें गंदा करना दंडनीय अपराध है। पुस्तकालय से प्रति छात्र 2 रीडर टिकट दिये जायेंगे, इश्यू हुई पुस्तकें 15 दिन पश्चात् जमा कराने पर नियमानुसार वांछित विलम्ब शुल्क देना होगा। रीडर टिकट अहस्तांतरणीय होगा।
22. नियमित विद्यार्थियों के कल्याण–कार्यों जैसे–शुल्क मुक्ति हेतु समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियां, छात्र सहायता, यात्रा सुविधा आदि किसी भी अन्य जानकारी के लिए महाविद्यालय कार्यालय/परामर्श समिति से सम्पर्क करें।
23. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का प्रयोग वर्जित है। यदि गलती से आ जाता है, तो महाविद्यालय में उसका स्विच् बन्द ही रखें।
24. प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाये जाने/महाविद्यालय का सामान्य अनुशासन, शांति, मर्यादा भंग करने/आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पाई जाने/ महाविद्यालय नियमों के उल्लंघन करने/पिता/माता/संरक्षक के स्थान पर स्वयं या अन्य के हस्ताक्षर करने आदि कार्य दंडनीय अपराध समझा जायेगा तथा उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।
25. प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर बिना कारण बताये तत्संबंधित आवेदन पत्र को अस्वीकार कर उसका प्रवेश निरस्त कर दें।

26. राज्य सरकार के नवीन आदेशों के तहत नकल करना कानूनन अपराध है। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न–पत्रों का बहिष्कार आर्डिनेन्स संख्या 152–152–2(डी) IV के अनुसार अभद्र एवं अशिष्ट आचरण करने की श्रेणी में आता है।
27. महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर कॉशन मनी वापिस नहीं ली जाने पर वह राशि राजकीय कोष में जमा करा दी जायेगी, इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

75% अनिवार्य उपस्थिति नियम

राज्य सरकार के आदेशानुसार :

प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक कक्षाओं में पृथक–पृथक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसे विद्यार्थी जो निर्धारित 75 प्रतिशत उपस्थिति प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें नियमित छात्र के रूप में परीक्षा देने से वंचित कर दिया जायेगा।

टिप्पणी : जो विद्यार्थी महाविद्यालय की ओर से किसी सह शैक्षणिक गतिविधि के लिए महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा राज्य का प्रतिनिधित्व करने भेजा जाता है, उन दिनों की उपस्थिति उसे कक्षा में नियमानुसार देय होगी। इसके लिए प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपस्थिति में छूट का प्रावधान :

(क) प्राचार्य प्रत्येक विषय में कुल उपस्थिति के 3 प्रतिशत की छूट दे सकते हैं।

(ख) विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को अधिकतम 6 प्रतिशत की छूट दे सकता है।

(ग) स्नातक (पास) कक्षाओं में कला एवं वाणिज्य संकाय को ऐसे नियमित विद्यार्थी, जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो वे स्वयंपाठी छात्र/छात्रा के रूप में उसी वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क जमा करवाना होगा।

(घ) महाविद्यालय द्वारा आयोजित टर्मिनल टेस्ट में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को, प्रत्येक विषय में पांच अतिरिक्त उपस्थिति का लाभ दिया जायेगा।

विशेष :

1. यदि किसी विद्यार्थी का संकाय/विषय परिवर्तन होता है या उसका प्रवेश विलम्ब से होता है या पूरक परीक्षा के कारण परिणाम विलम्ब से आता है तो भी उसकी उपस्थिति की गणना सत्र् प्रारम्भ से ही होगी।
2. विद्यार्थियों को अपनी उपस्थिति की जानकारी कक्षा में प्रत्येक माह के अन्त में, सम्बन्धित प्राध्यापक से प्राप्त कर लेनी चाहिये। यह विद्यार्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
3. किसी विद्यार्थी की उपस्थिति नियमानुसार से कम होने पर, प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट :– उपर्युक्त विवरण नियमों का सारांश मात्र हैं। विस्तृत जानकारी हेतु राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के नियमों/आदेशों का अध्ययन करें।

प्रांगण–गतिविधियाँ

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

राष्ट्रीय सेवा योजना का शुभारम्भ गांधी शताब्दी वर्ष सन् 1969 में हुआ, यह राष्ट्रपिता को उनके ''युवाओं में अटल विश्वास की श्रद्धाजंली'' का प्रतीक है। एन.एस.एस. ने शैक्षिक परिसरों को समाज से जोड़ने का काम किया है तथा सार्वजनिक हित की अनेक परियोजनायें कार्यान्वित की हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य यह है कि, छात्र समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करके, राष्ट्रभक्त एवं योग्य नागरिक बन सकें।

कार्यक्रम को सार्थक व प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता, ''एड्स'' के प्रति जागरूकता, बस्ती गोद लेने की अनिवार्यता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महापुरूषों की जयंती मनाना, भित्ति पत्रिका, महिला विकास, बंजर भूमि विकास तथा वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमों के साथ–साथ केन्द्र/प्रदेश द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों को एन.एस.एस. के साथ जोड़ा गया है। एन.एस.एस. के साथ जुड़कर छात्र/छात्रायें ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक होकर सामाजिक विकास में अपना योगदान दे सकते हैं।

एन.एस.एस. में छात्र/छात्राओं को नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत लगातार दो वर्ष में 240 घंटे अपनी रूचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है तथा एक विशेष शिविर में भाग लेना होता है। सफल छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है।

हमारे महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा एन.एस.एस. की दो इकाइयां स्वीकृत है। जिसमें सत्र् 2024–25 में 200 छात्र/छात्रायें पंजीकृत किये जावेंगे। पंजीकरण '' पहले आओ–पहले पाओ'' के सिद्धान्त के आधार पर एवं छात्र/छात्रा की रूचि को ध्यान में रखकर किया जाता है।

एन.एस.एस. की गतिविधियों एवं पंजीकरण की विस्तृत जानकारी के लिए एन.एस.एस. कार्यक्रम अधिकारियों से सम्पर्क करें।

खेल–कूद :–

महाविद्यालय में खेल अधिकारी के निर्देशन में खेलकूद की व्यवस्था है। महाविद्यालय में वार्षिक खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तथा सर्वोत्तम खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है। स्तरीय टीम/एथलीटों को अंतर–महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व हेतु भी भेजा जाता है। महाविद्यालय में इनडोर गेम के रूप में टेबल–टेनिस की सुविधा उपलब्ध है।

महाविद्यालय पुस्तकालय :–

महाविद्यालय पुस्तकालय में 9000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। वाचनालय में हिन्दी/अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकायें/विषय जर्नल्स मंगवाई जाती है। छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि वे पुस्तकालय/वाचनालय का नियमित रूप से उपयोग करें। विस्तृत जानकारी के लिए पुस्तकालय प्रभारी से सम्पर्क स्थापित करें।

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां :–

महाविद्यालय छात्रसंघ के तत्वाधान में समय–समय पर निबंध लेखन, वाद–विवाद प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे समस्त गतिविधियों में भाग लेकर अपने व्यक्तिव का विकास करें।

छात्रसंघ :–

महाविद्यालय के समस्त नियमित विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों के उन्नयन एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिवर्ष छात्रसंघ का गठन किया जाता है। जिसका संचालन इस हेतु निर्मित छात्रसंघ संविधान के अनुसार किया जाता है। छात्रसंघ चुनाव के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

भित्ति पत्रिका :–

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा हिन्दी दिवस, प्रेमचंद जयंती, गांधी जयंती, एड्स दिवस तथा अन्य महापुरूषों की जयन्तियों पर आलेख, संकलन व रचनाएँ तैयार कर समय–समय पर भित्ति पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। इनके माध्यम से विद्यार्थियों में लेखन क्षमता का विकास होता है तथा एक–दूसरे के विचारों को जानने का अवसर प्राप्त होता है। एक ही स्थान पर विभिन्न विषय की जानकारी उपलब्ध होने से ये भित्ति पत्रिकाएँ व्यक्तित्व विकास में अत्यन्त उपयोगी होती हैं।

नोट :

महाविद्यालय में संचालित हो रही निम्न गतिविधियों एवं प्रकोष्ठ में से किन्हीं एक में भाग लेना प्रत्येक छात्र–छात्रा के लिए अनिवार्य है। एक से अधिक गतिविधि में भाग लेने हेतु विद्यार्थी युवा विकास कौशल परामर्श प्रकोष्ठ से सम्पर्क कर सकते हैं।

(1) राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

(2) महिला प्रकोष्ठ/मानवाधिकार प्रकोष्ठ/

छात्रवृत्तियां

छात्रवृत्ति संबंधी मार्गदर्शिका –

आवेदन–पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए तथा स्पष्ट एवं शुद्ध लेख में होना चाहिए जिसमें निम्न बातें मुख्य हैं –

1. **छात्रवृति के आवदेन–पत्र में निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए** :

(क) निर्धारित फार्म में छात्रवृति के लिये आवेदन पत्र की एक प्रति (संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नवीकृत छात्रवृति के लिए अलग–अलग आवेदन प्रपत्र निर्धारित किये गये हैं।)

(ख) छात्र द्वारा हस्ताक्षर की हुई पासपोर्ट आकार फोटो (नई छात्रवृति के लिए)

(ग) सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकतालिका व प्रमाण पत्रों की एक–एक सत्यापित फोटो प्रतिलिपि।

(घ) प्राधिकृत राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से नीचे न हो, के द्वारा यथाविधि हस्ताक्षर किया हुआ एक जाति प्रमाण पत्र (मूल रूप में)

(ड) स्वनियोजित माता–पिता/अभिभावक के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय प्रमाण–पत्र तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी का मान्य होगा। जिन छात्र/छात्राओं के माता–पिता/अभिभावक राजकीय सेवा या किसी विभाग में कार्यरत है, उन्हें उस विभाग से जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(च) आवेदन–पत्र से संलग्न फार्म में सबंधित संस्थान के प्रधान द्वारा यथाविधि प्रति हस्ताक्षर की गई छात्रवृति की प्राप्ति की रसीद, यदि आवेदक ने इस योजना के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वर्ष में छात्रवृति प्राप्त की हो।

(छ) आवेदन–पत्र के साथ आधार कार्ड की फोटो प्रति अवश्य लगावें।

(ज) एस.बी.बी.जे. बैंक में बचत खाते की पास–बुक की सत्यापित प्रति लगावें।

2. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन–पत्र अभ्यर्थी जिस संस्थान में अध्ययन कर रहा है या अध्ययन कर चुका है, के प्रधान को प्रस्तुत किए जाए तथा छात्र को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उनके द्वारा उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी को सम्बोधित किए जाए।

3. राज्य/केन्द्र सरकार अगर नियमों में कोई नया प्रावधान होता है तो वे नियम ही मान्य होंगे।

I. समाज कल्याण विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियां :–

(अ) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति – अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मोस्ट बैकवर्ड क्लास (MBC)

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मोस्ट बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थियों (छात्र–छात्राओं) को मैट्रिकोत्तर छात्रवृति दी जाती है।

1. पात्रता :

(क) केवल वे ही विद्यार्थी जो राजस्थान के अनु.जाति/अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो।

(ख) ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय/संकाय में अध्ययन करने लगे, जैसेः बी.ए. के बाद बी.कॉम. करने लगे या एम.ए. के बाद किसी अन्य विषय में एम.ए. करने लगे, इसके पात्र नहीं होंगे।

(ग) नियोजित विद्यार्थी जिन्होंने पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र–छात्रा के रूप में अध्ययन कर रहे हो, छात्रवृति पाने के पात्र होंगे।

(घ) एक ही माता–पिता/अभिभावक के सभी बच्चे छात्रवृति पाने के हकदार होंगे।

(ड.) ऐसे विद्यार्थियों की कोई अन्य छात्रवृति नहीं दी जाती हो।

(च) अन्य छात्रवृत्तियां अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिए देय नहीं।

(छ) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) छात्रवृति के लिए गरीबी रेखा के नीचे बी.पी.एल (BPL) में चयनित परिवारों के छात्र–छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति वितरण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

(ज) गरीबी रेखा के नीचे बी.पी.एल. (BPL) चयनित परिवार के छात्र/छात्राओं के उपलब्ध नहीं होने पर या इन छात्र/छात्राओं के छात्रवृति वितरण के पश्चात् बजट शेष रहने पर गरीबी रेखा से ऊपर उच्च आय वाले (अधिकतम 44500 रू. वार्षिक आय) अभिभावकों के छात्र/छात्राओं को उनके द्वारा गत वर्ष में प्राप्त अंको की मैरिट बनाकर, उच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

राशि : अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (MBC) छात्रवृति की राशि के लिए 5 समूह निर्धारित किए गए हैं, महाविद्यालय से संबंधित छात्र/छात्राओं के लिए निम्नलिखित समूह है –

समूह संख्या	समूह	अजा	अजजा	MBC	OBC
		अछात्रावास	अछात्रावास	अछात्रावास	अछात्रावास
(ए)	स्नातक पार्ट ।,।। व ।।।	300	300	300	
(बी)	स्नातक पार्ट ।	—	—	—	220
(सी)	स्नातक पार्ट ।। व।।।	—	—	—	220

नोट : ''छात्रावास'' शब्द का अर्थ है विद्यार्थियों के लिए एक सांझा आवासीय भवन तथा भोजनालय जो शैक्षिक संस्था के प्राधिकारियों के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के अधीन चलाया जा रहा हो। कॉलेज छात्रावास के आवास के लिए अनुमोदित स्थान को भी इस योजना के अन्तर्गत छात्रावास माना जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों अथवा विनियमों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए तथा विधिवत निरीक्षण के पश्चात् संस्था के प्रमुख द्वारा स्थान का अनुमोदन किया जायेगा। ऐसे मामले में इस आशय का प्रमाण–पत्र कि,''विद्यार्थी आवास के लिए अनुमोदित स्थान में रह रहा है, क्योंकि उसे कॉलेज छात्रावास में जगह नहीं मिली'' संस्था के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मान्य छात्रावास में आवास की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसा कि कम से कम पांच छात्रों द्वारा एक साथ रहने के लिए आवास लिया जाता हो, साथ ही इसके सर्वसाधारण मेस का प्रबंध भी होना चाहिए।

उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन या निःशुल्क आवास के पात्र हैं, उन्हें छात्रावासियों की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जाएगा।

1. **आय** :
    1. अनु.जाति के विद्यार्थियों के माता–पिता की वार्षिक आय 200000/– तथा अनु.जनजाति के विद्यार्थियों के माता–पिता की वार्षिक आय 200000/– से अधिक होने पर उन्हें कोई छात्रवृति देय नहीं होगी।
    2. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के माता–पिता की वार्षिक आय 100000/– से अधिक होने पर उन्हें कोई छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

    नोट : आय प्रमाण–पत्र केवल एक बार लिये जाने की आवश्यकता है अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रम में दाखिले के समय।
2. **फीस** : छात्र द्वारा संस्था/विश्वविद्यालय को दी जाने वाली फीस का पुनः भुगतान किया जायेगा, किन्तु इसमें कॉशन मनी सम्मिलित नहीं होगी।
3. **नवीनीकरण** : अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक छात्रवृति दी जायेगी, लेकिन इसके लिए छात्रों का अच्छा आचरण व उपस्थिति में नियमितता आवश्यक है।
4. **भुगतान** : छात्र का चयन आय जांच के आधार पर किया जायेगा। इसके बाद प्राचार्य द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किये जायेंगे। छात्रवृति का भुगतान अप्रैल या नामांकन के माह से (20 तारीख बाद प्रवेश लेने पर अगले माह से) जो भी बाद में हो, से परीक्षा पूरी होने तक प्रतिमाह किया जायेगा।

    नोट : विद्यार्थी का आचरण असंतोषजनक होने पर या झूठी घोषणा पर, अथवा गलत भुगतान किये जाने पर प्राचार्य द्वारा छात्रवृति निरस्त की जा सकती है।

    (ब) अनु.जाति/अनु.जनजाति के विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान :

    (1) दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता :

पाठ्यक्रम का स्तर	पाठक भत्ता (रूपये प्रतिमाह)
समूह–क, ख, ग	240
समूह–घ	200
समूह–ड.	100

(।) विकलांग छात्रों के लिए प्रतिमाह 160 रूपये परिवहन भत्ते का प्रावधान यदि वह छात्र संस्था के परिसर में स्थित

होस्टल में नहीं रहता हो।

(।।) **विकलांगों के लिए छात्रवृति** :

अंधे, बहरे अथवा शारिरिक विकलांग (ऑर्थोपिडिकली हैन्डीकैप्ड)छात्रों को विकलांग छात्रवृति समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(स) अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को केन्द्रीय प्रायोजित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार मात्र छात्रावासीय विद्यार्थियों को (निर्धारित आय सीमा 144000 रू. तक) छात्रवृत्ति देय हैं। छात्रवृत्ति की राशि के लिए 5 समूह निर्धारित हैं। जो इस प्रकार हैं :–

समूह	निर्वाह भत्ता (प्रतिमाह रू.)	
	छात्रावासी	अछात्रावासी
समूह 3	400/–	210/–

नोट :– अन्य पिछड़ा वर्ग में बी.पी.एल. में चयनित परिवार के छात्रों को प्राथमिकता से छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के पश्चात् आवंटित बजट का शेष उपलब्ध सीमा तक अन्य पिछ़डा वर्ग के छात्रों को पिछली परीक्षाओं में प्राप्तांको के आधार पर मेरिट बनाकर छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

(द) **विशेष पिछड़ा वर्ग (देवनारायण योजना)** विशेष पिछड़ा वर्ग के राजस्थान मूल के बंजारा, बालदिया,लबाना, गाड़िया लुहार, गाड़ोलिया, गुर्जर, रायका एंव रेबारी (देबासी) के छात्रों को जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 200000 से अधिक न हो राजस्थान सरकार द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति देय है।

समूह	निर्वाह भत्ता (प्रतिमाह रू.)	
	छात्रावासी	अछात्रावासी
समूह 3 स्नातक पाठ्यक्रम	570/–	300/–

(य) **देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना** :–

उक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग की नियमित छात्राओं को उच्च माध्यमिक परीक्षा के वरीयता क्रम के अनुसार स्कूटी स्वीकृत की जाएगी। स्कूटी स्वीकृत पात्र छात्राओं को अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ देय नहीं होगा। विस्तृत जानकारी हेतु पात्र छात्राएं महाविद्यालय कार्यालय से सम्पर्क करें।

।। **आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ** :–

छात्र नूतन (फ्रेश) अथवा नवीनीकरण (रिन्यूवल) छात्रवृत्तियों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र शिक्षण संस्था के प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए तथा स्पष्ट एवं शुद्ध लेखनी में होने चाहिए जिसमें निम्न बातें मुख्य हैं :

उक्त जाति के जिन छात्रों ने सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा पास की है अथवा जिन्होंने एक स्तर का कोर्स पूरा किया है जैसे इन्टरमीडियेट आदि आगे बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. में प्रवेश लेते हैं, उन्हें नूतन आवेदन पत्र भरने

होंगे तथा जिन छात्रों ने इस महाविद्यालय से या अन्य किसी महाविद्यालय से वर्ष 2023–2024 में प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष में छात्रवृति प्राप्त की हैं, उन्हें नवीनीकरण के फार्म भरने होंगे।

1. **राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ** :–

ये छात्रवृत्तियाँ उन छात्रों को प्रदान की जाती हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर या विश्वविद्यालय में योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, एवं अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं । नवीनीकरण के लिए 50 प्रतिशत प्राप्तांक आवश्यक है। माता–पिता की कुल वार्षिक आय 100000/– (एक लाख) रू. से अधिक न हो। छात्रावासी को 100 रू. व अछात्रावासी को 60/– रू. प्रतिमाह की दर से देय हैं।

2. **आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति** :–

राजस्थान के वे छात्र जिन्होंने 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंको से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा संचालित सीनियर सैकेण्डरी तथा उपाध्याय परीक्षा (संस्कृत) और स्नातक परीक्षा राजस्थान में स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से उत्तीर्ण की हैं, ऐसे छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। नवीनीकरण के लिए 50 प्रतिशत प्राप्तांक आवश्यक हैं।

माता–पिता की कुल वार्षिक आय 200000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रावासी को 120 रू. व अछात्रावासी को 90/– रू. प्रतिमाह की दर से देय हैं।

3. **अध्यापकों के बच्चों को देय राष्ट्रीय छात्रवृत्ति** :–

यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती हैं, जिन्होंने सैकेण्डरी या सीनियर सैकेण्डरी की परीक्षा 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंको से उत्तीर्ण की हो एवं निदेशक, प्राथमिक, एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा चयनित हो। माता–पिता की कुल वार्षिक आय 25000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रावासी को 300 रू. व अछात्रावासी को 120/– रू. प्रतिमाह की दर से देय हैं।

4. **महिला योग्यता छात्रवृत्ति** :–

यह छात्रवृति उन छात्राओं को देय होगी जो सीनियर सैकेण्डरी अजमेर या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड या स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंको से उत्तीर्ण की हो। अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रूपये या इससे कम हो।

5. **स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति** :–

यह छात्रवृत्ति राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के उन बच्चों व पोतों को दी जाती है, जो अध्ययनरत हैं व गत परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। आय सीमा 14400/– वार्षिक। छात्रवृत्ति दर प्रतिमाह निम्नानुसार हैं :–

छात्रावासी – 100.00 अछात्रावासी – 60.00

6.**मृतक राज्य कर्मचारी के बच्चों को देय छात्रवृति** :–

(1) राज्य सेवा में काम करते हुए मृत कर्मचारी के उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों को।
(2) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत करने व उत्तीर्ण होने पर।
(3) अन्य छात्रवृत्ति के साथ देय नहीं हैं।
(4) कोई आय सीमा नहीं हैं।

यह छात्रवृत्ति 50/– स्नातक स्तर पर प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 75/– प्रतिमाह हैं।

7.**उर्दू छात्रवृत्ति** :–

यह छात्रवृत्ति राजस्थान की मूल निवासी छात्राओं को जो 50 प्रतिशत अंको के साथ महाविद्यालय उर्दू ऐच्छिक विषय लेकर स्नातक स्तर अध्ययन कर रही हैं तथा स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को उर्दू विषय लेकर पढ़ने पर देय होगी। आय सीमा कुछ नहीं। छात्रवृत्ति प्रतिमाह 100/– स्नातक स्तर पर तथा 150/– स्नातकोत्तर स्तर पर होगी।

8. **भारत–पाक एवं भारत–चीन युद्ध में मृतक सैनिकों के बच्चों एवं विधवाओं को देय छात्रवृत्ति** :–

यह छात्रवृत्ति उन युद्धों में मृतक सैनिकों के बच्चों को/विधवाओं को, जो महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत हैं, को दी जाएगी। छात्रवृत्ति दर प्रतिमाह निम्नलिखित होगी :

छात्रावासी –100.00 अछात्रावासी – 60.00

9. **भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति :–**

यह छात्रवृत्ति भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों को मिलेगी जो सीनियर सैकेण्डरी उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश लेगी। छात्रवृत्ति प्रतिमाह 150/– होगी। आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

10. **कारगिल कारवाई में राजस्थान के शहीद सैनिकों के आश्रितों को उच्च शिक्षा में नियमित अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति देय हैं**

नोट :– 1. राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि नकद नहीं दी जाकर उनके बचत खातें में महाविद्यालय द्वारा जमा कराई जाएगी। अतः छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी अपना बचत खाता खुलवाकर महाविद्यालय में अपनी बचत खाता संख्या दर्ज करवा दें। बचत खातें के अभाव में छात्रवृत्ति नहीं बनने की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।

2. एक छात्र को एक वर्ष में केवल एक ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाएगी।

3. विद्यार्थी का आचरण असंतोषजनक होने पर या झूठी घोषणा पर अथवा गलत भुगतान किए जाने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है और दी गई राशि को लौटाने के आदेश दे सकते हैं।

4. आवेदन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि साधारणतः पिता के जीवित होने की दशा में किसी अन्य व्यक्ति को संरक्षक नहीं माना जाएगा।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

1.योजना

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में राजस्थान के मूल निवासी प्रथम एक लाख ऐसे छात्र/छात्राओं को जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से 60 प्रतिशत अंक द्वारा 12 वीं उत्तीर्ण की हो तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय ढ़ाई लाख रूपये तक हैं तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही हैं, के लिए 500 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने की वर्ष 2012–13 के बजट में घोषणा की गई थी। यह योजना अल्प आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी, जो कि वर्ष 2024–25 में भी जारी रहेगी।

2. योजना अन्तर्गत लाभ :–

(अ) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अल्प आय परिवारों के पात्र छात्र/छात्राओं को 500/–रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात् अधिकतम 5000/– रूपये वार्षिक भुगतान किया जावेगा।

(ब) इस योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र/छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षों तक ही लाभ प्रदत्त किया जावेगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा।

(1) छात्रवृत्ति की निरन्तरता की प्रक्रिया :–

छात्रवृत्ति राशि का भुगतान पांच वर्ष की अवधि अथवा उच्च/तकनीकी अध्ययन जारी रखने तक, जो भी पहले हो, देय होगी। चयनित छात्र को निर्धारित परीक्षा में 60 प्रतिशत (स्नातक/स्नातकोत्तर/तकनीकी) प्राप्तांक से उत्तीर्ण होना व प्रति वर्ष इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक हैं, जिससे कि यह प्रमाणित किया जा सके कि नियमित अध्ययनरत उच्च शिक्षा जारी हैं।

इस हेतु छात्र/छात्रा को प्रपत्र ''ब'' में आवेदन प्रत्र भर कर अपने संस्था प्रधान को अगस्त 20 तक प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ पूर्व वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकतालिका की प्रति संलग्न हो। संस्था प्रधान सत्यापित कर आवेदन पत्र को नोडल अधिकारी को दिनांक 31 अगस्त तक प्रेषित कर देंगे।

इच्छुक व पात्र छात्र महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर मु.उ.शि.छा. योजना प्रभारी को अपने आवेदन पत्र जमा करा दें।

☞ **अति आवश्यक**

1. समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों एवं आर्थिक सहायता में से विद्यार्थी एक समय में केवल एक योजना का लाभ ले सकता हैं। अतः अपनी आर्थिक स्थिति व योग्यता के अनुसार ही किसी एक सुविधा के लिए आवेदन करें।
2. सुविधा लाभ प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी ''एस.बी.बी.जे.'' में स्वयं का खाता खुलवाएं।
3. विद्यार्थी अपने खाते में हमेशा न्यूनतम बैलेंस रखे और खाता को चालू रखें।

महाविद्यालय परिवार

कार्यवाहक प्राचार्य – डॉ. रजनी गगवानी

कला संकाय

अर्थशास्त्र विभाग	–	1. रिक्त	
भूगोल विभाग	–	1. श्री मनु राज पुरोहित	2. रिक्त
राजनीति शास्त्र विभाग	–	1. डा. रजनी गगवानी	2. रिक्त
हिन्दी विभाग	–	1. श्री भवानी सिंह गुर्जर	2. रिक्त
		3. रिक्त	4. रिक्त
अंग्रेजी विभाग	–	1. श्री पीयूष भैड़ा	

वाणिज्य संकाय

व्यावसायिक प्रशासन विभाग	–	1. श्री राहुल मीणा	
बैंकिग एवं वित्तीय प्रबंध विभाग	–	1. रिक्त	
लेखा एंव वित्त विभाग	–	1. रिक्त	

विज्ञान संकाय

1. प्राणीशास्त्र – 1. रिक्त 2.रसायन शास्त्र–1 रिक्त 3. भौतिकशास्त्र– 1. रिक्त
4. वनस्पतिशास्त्र – 1. रिक्त 5. गणित– 1. रिक्त

शिक्षणेत्तर स्टाफ

पुस्तकालयाध्यक्ष	–	1. रिक्त	
खेल अधिकारी	–	1. रिक्त	

कार्यालय

सहा. लेखाधिकारी	–	1. रिक्त	
वरिष्ठ लिपिक	–	1. श्री आनन्द गोयल	
कनिष्ठ लिपिक	–	1. श्री मनीष दाद्दीच	2. रिक्त

अधीनस्थ कर्मचारी

सहायक कर्मचारी	–	1. श्री दिनेश मीणा	2. रिक्त	3. रिक्त

विकास समिति संविदा कर्मचारी

कम्प्यूटर ऑपरेटर	–	1. श्री संदीप कुमार शर्मा
पुस्तकालय सहयोगी	–	1. श्री सत्यनारायण शर्मा